

पत्नी
अतिरिक्त जिना मजिस्ट्रेट

किया।

अप्राप्ति ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार किया जावे एवं अप्राप्ति पर माफी से माफी उर्मना अधिरोपित किया जावे।
(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्राप्ति दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा गया। इस प्रकार अप्राप्ति द्वारा Misbranded सोन पापुडी (गुर्जर ब्राण्ड) का विक्रय कर प्रतिवेदन में प्रार्थी द्वारा लिया गया सोन पापुडी (गुर्जर ब्राण्ड) को Misbranded पाया जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जाधपुर सिलवाया गया। खाद्य विवेक्षणक द्वारा प्रेषित जांच की गई, जिस पर अप्राप्ति के हस्ताक्षर हैं। उक्त सीलबन्ध लिफाफा खाद्य विवेक्षणक, नम्बर आर-620 अंकित किया एवं नमूना का विवरण अंकित कर मौका फर्द तैयार सोन पापुडी (गुर्जर ब्राण्ड) को चार भागों में कर लेबल तैयार कर कोड व सिधियल वहां रखे हुए सोन पापुडी (गुर्जर ब्राण्ड) को वास्तव जांच हेतु कथ कर, उक्त कथपूर्वा शंकर मिष्ठान भण्डार, 225 पुलिस लाईन रोड, पाली से अप्राप्ति की उपस्थिति में पदस्थानित है। दिनांक 12.01.2017 को दौरान गस्त अप्राप्ति संख्या 1 की फर्म सैम्पल अतिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य बिक्री संस्था एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा की बहस सृजी गई।

प्रेषी की उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार किया। उभयपक्ष किया जाकर अप्राप्ति को जारिये नोटिस तलब किया गया। अप्राप्ति ने नियत तारीख अधिनियम 2006 के तहत अप्राप्ति के विरुद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

दिनांक 12/9/2018

:- निर्णय :-

1. श्री दिलीपसिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. श्री आसनदास, अप्राप्ति

उपस्थित :-

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

श्री दिलीपसिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य बिक्री संस्था एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली
1 आसनदास पुत्र बलवंत सिन्धी (मालिक) सैम्पल शंकर मिष्ठान (पाली) सैम्पल शंकर मिष्ठान एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली

प्रार्थी:-
वर्ना
अप्राप्तिनाम :-
RCCMS Case No. 2018/00007
विधि प्रकरण संख्या : 07/2018

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिना मजिस्ट्रेट, पाली
पीठाधीन अधिकारी : श्री भगवतीरथ बिबरनोई, आर.ए.एस.

दिनांक 12.01.2017 को अपार्षी की फर्म से सोन पापडी (गुर्जर ब्राण्ड) क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं कम संख्या आर-620 अंकित कर सीलबन्ध किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जाधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./29/एक्ट/2017/28 दिनांक 24.01.2017 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर-621 को Mibranded माना है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अध्याय 6 के नियम 26 (2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम के अध्याय 9 की धारा 52 के अन्तर्गत शारिजत योग्य है। चूंकि प्रकरण में अपार्षीमाण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार किया है तथा स्वीकारावित्त के पश्चात् किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से परिणाम स्वरूप प्रार्षी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अपार्षी द्वारा Mibranded खाद्य वस्तु सोन पापडी (गुर्जर ब्राण्ड) का विनिमाण/विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अपार्षी पर 1,50,000/- अक्षर एक लाख पचास हजार रुपये मात्र की शारिजत आरापित की जाती है, साथ ही प्रार्षी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त शारिजत अपार्षी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य "0210-विकिन्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राक्तिया, (03) खाद्य सुरक्षा कर्नन के अन्तर्गत अर्जुनापत्र शिक्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपी अपार्षी एवं प्रार्षी को वास्तु पातनाष्ट भिजवाई जावे। बाद पालना पचावली फौसल में शिमार होकर नम्बर से कम हो।



न्यायालय में सुनाया गया।
 निर्णय आज दिनांक 12/9/2018 को से द्वारा लिखवाया जाकर खले
 (भगीरथ बिहारी)
 न्याय निर्णय अधिकारी एवं
 अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

(भगीरथ बिहारी)
 न्याय निर्णय अधिकारी एवं
 अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली